FILE No. _____

2019/00084

Name

Address

Subject

From To

RECORD FILE

No. 96

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.08 12:03:52 IST
Reason: SelfAttested

MIRROR
OFFICE FILE
REGD. TRADE MARK NO.

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

24/11/20 न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी .....
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/1/21 को पेश है

रीडर
एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0 बयाना

18/2/21 वाद- ग्रामपंचायत भरतपुर बनाम ग्रामपंचायत भरतपुर की- पुनरावली पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 2/3/21 को पेश हो।

02/3/21 फाईल हाजा यह प्रार्थना पत्र धारा 212 एक्ट के तहत पेश कर विवादग्रस्त जमीन खसरा नं. 430, 439, 441, 442, 443, 445, 482, 488, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 704, 708, 709, 720, 721, 724, 725, 924, 925, 928, 929, 930, 931, 933, 934, 935, 569, 932 वगैरह जमा जबत तहसील बयाना अंकित है। जिसमें वादनी ग्रामपंचायत राजस्व अभिलेख में कुछ हिस्सा गुमान, खातेदार कास्तकार काबिज आमदी है। अप्रार्थीगण, प्रार्थनी से उक्त तिनों से बेदखल करने लगे हैं। अनावश्यक रूप से आमदी को परेशान करने, फसल काटने में विघ्न करने लगे हैं। विवादित आमदी [illegible] नहीं हुआ है। अतः 24 [illegible] को वादनी ग्रामपंचायत को अदली-2 [illegible] लाभ वाले स्थायी को मुकर्रर करें की- जिसकी अमलदारी अमल होती गई है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थिका स्वीकार कर अमलदारी

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.08 12:03:52 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नाम अहलकार हुक्म की जा

मूल वाद तक विवादित अगली बावत अस्थाई निषेधाज्ञा से पालन कराने का विनय किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर डीएसपी राजिन्दर को अभियोगिण को जीप मोहिया तहत किया। आवेदिका किशन पुत्री अयोध्या। अगाधत 5 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। ए आवेदिका किशन, 09/01/20 से अभियो सेक्स 06 अगाधत 15 को प्रार्थना पत्र से तक किए गए, हुने 250 ग्रामों के एक पक्षीय सुना पत्रावली में सलग्न रागात्व जीवनोपयोग का अवलोकन किया। विवादित आगामी बाद वादी पक्षकारान के मध्य विवाद होना पाया होना है। साथ ही अभियोगिण की तामील होने पर पालन हेतु उपस्थित नहीं होना पाया है। कारण है कि अभियोगिण विवादित आगामी बाद वादी कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं। विवादित आगामी बाद पक्षकारान के मध्य विवाद नहीं बने। पालन हेतु आदेश अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक बरकरार करना न्यायोचित है। वादिका पक्षी को सुविधा का सन्तुलन प्राकृया के पक्ष में बहुतायत पाया है।

अतः प्रार्थना पत्र प्राकृया स्वीकार किया जाता है। पालन हेतु आदेश अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 03/01/2019 मूल वाद के निर्णय तक बरकरार किया जाता है। पत्रावली फैसला होकर नकल से अस्त हो। वाद तमामीन दाखिल दफ्तर हो। लिखित मेरे हाथ लिखाया गया।

सुने। पालन

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.08 12:03:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)